भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 2420

जिसका उत्तर 10 अगस्त, 2026 को दिया जाना है

कोयला उत्पादन समाप्त होने से पहले 'जिला आर्थिक परिवर्तन योजना'

2420. श्रीमती महुआ माजी:

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोयला खदानों के बंद होने से पांच अथवा दस वर्ष पूर्व संबंधित जिले की रोजगार, स्थानीय व्यापार और राजस्व निर्भरता का आकलन करने हेतु कोई राष्ट्रीय तंत्र मौजूद है;

(ख) क्या प्रत्येक कोयला-निर्भर जिले हेतु 'बंद होने-पूर्व जिला आर्थिक परिवर्तन योजना' को अनिवार्य बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) क्या ऐसी योजना को खदानों के बंद होने से पूर्व वैकल्पिक उद्योगों, कौशल विकास और स्थानीय रोजगार सृजन हेतु झारखंड के कोयला-समृद्ध जिलों में एक प्रायोगिक परियोजना के रूप में कार्यान्वित किया जाएगा?

उत्तर

कोयला और खान राज्य मंत्री
(श्री सतीश चन्द्र दुबे)

(क): कोयला मंत्रालय ने कोयला और लिग्नाइट ब्लॉकों के लिए खनन योजना और खान समापन योजना 2025 तैयार करने के लिए दिनांक 31 जनवरी, 2025 को दिशानिर्देश जारी किए हैं। इन दिशानिर्देशों के पैरा 3.2.2 में निर्धारित किया गया है कि खनन कंपनी को सामाजिक प्रभाव आकलन अध्ययन के भाग के रूप में खान बंद करने के लिए प्रभाव क्षेत्र का निर्धारण करना चाहिए, जिसमें ऐसे क्षेत्र शामिल होंगे जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से खान/खानों के समूह पर निर्भर हैं, जहां इस तरह खान के बंद होने से श्रमिकों और स्थानीय समुदाय की आय और आजीविका प्रभावित होगी। इन दिशानिर्देशों के तहत, कोयला खान के परियोजना प्रस्तावक को 5 वर्ष की रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है, जिसमें खान के आसपास के क्षेत्र में

प्रभावित समुदायों के कौशल, आजीविका, जीवन स्तर को बढ़ाने और आजीविका को बनाए रखने के लिए पहलों की रूपरेखा दी गई हो।

(ख) और (ग): कोयला मंत्रालय द्वारा जारी किए गए उपर्युक्त दिशा-निर्देशों में यह प्रावधान है कि अंतिम खान समापन लागत से जमा की गई 10 प्रतिशत शेष राशि से न्यायोचित परिवर्तन के लिए एक कोष बनाया जाएगा। इस राशि का उपयोग कौशल विकास, संधारणीय आजीविका और रोजगार सृजन के लिए जिला प्रशासन, स्थानीय प्राधिकरण और हितधारकों के परामर्श से खान बंद होने के बाद सामाजिक-परिवर्तन के लिए किया जा सकता है। ये दिशा-निर्देश झारखंड सहित भारत की सभी कोयला खानों पर लागू होते हैं।
